273

538

न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प , जबलपुर म0प्र0

राजस्व अपील क्रमांक |2015 निग/2997/I/15

आवेदक । अपीलार्थी :- 1- ओंकार प्रसाद पटैल उम्र 87 वर्ष

2- हलक सिंह पटैल उम्र 85 वर्ष

दोनो के पिता स्व0 श्री फकीरेलाल पटैल

दोनो निवासी- ग्राम सरखंडी तहसील पाटन

जिला जबलपुर म0प्र0

श्री .... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ....
26 AUG 2015
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरुद्ध

अनावेदक ।प्रत्यर्थीगण :- 1- उमाशंकर पटैल

2- रमा शंकर पटैल

3- रविशंकर पटैल

तीनों के पिता श्री सोनेलाल पटैल , तीनों निवासी ग्राम सरखंडी तह0 पाटन जिला जबलपुर म0प्र0

अपील अन्तर्गत धारा 35(4) म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

अपीलार्थीगण निम्न निवेदन करते है :-

अपीलार्थी गण एडीशनल कमिश्नर जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 107|अ-6| 09-10 पदाकार हलक सिंह विरुद्ध उमाशंकर में पारित आदेश दिनांक 10-7-2015 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर यह अपील प्रस्तुत करते है :-

00000

1)- तथ्य

1)- यहकि अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर के समक्ष उपरोक्त

द्वारा विवादित आदेश दिनांक

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

———

प्रकरण कमांक – अपील 2997–एक/15 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.1.17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 107/अ–6/09–10 में पारित आदेश दिनांक 10–7–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील आवेदक की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 15–9–14 को अदम पैरवी में निरस्त की गई । इसके पुर्नस्थापन हेतु आवेदन दिनांक 14–10–14 को प्रस्तुत किया गया जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा लिखित बहस पेश की गई है । आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि प्रकरण में नियत दिनांक को आवेदक के अधिवक्ता को निजी कार्य से बाहर जाना था और यह बात वे आवेदक कमांक 2 हलक सिंह को बता गया थे किंतु हलक सिंह की पत्नी का दुर्भाग्यवश दिनांक 2–9–14 को निधन हो गया इस कारण वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके । आवेदक का अनुपस्थिति का कारण पर्याप्त था । आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में समय सीमा में आवेदन दिया	

R. 2997. I/15 (नरसिंहपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिया था । प्रकरण रिकार्ड के लिए नियत था और विगत कई माह से न्यायालय रिक्त थी । यह भी कहा गया है कि प्रकरण का निराकरण गुणदोशों पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय मिल सके । प्रकरण में अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण था जिसे अनदेखा करते हुए आवेदक का पुर्नस्थापन आवेदन निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 2005 आर0एन0 386 का उल्लेख करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण गुणदोषों के आधार पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किये जाने का निवेदन किया गया है ।	
	4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदकों ने जो आधार अनुपस्थिति का बताया है उसके संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं किये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में 5–12–12 से 15–9–14 तक लगभग 1 वर्ष 9 माह तक लगातार 08 पेशियों तक आवेदकों के अनुपस्थिति का उल्लेख किया है और उक्त कारण से आवेदक का आवेदन निरस्त किया है । हलकसिंह द्वारा भी ना तो अपनी पत्नी का कोई चिकित्सा प्रमाणपत्र पेश किया है और ना ही शपथपत्र । जिस न्यायदृष्टांत 2005 आर0एन0 386 का हवाला दिया गया है उसके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से वह इस प्रकरण में लागू नहीं होता है ।	
	5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण पुर्नस्थापन का है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक पक्ष दिनांक 5–12–12 से 15–9–14 तक लगभग 01 वर्ष 9 माह तक लगातार अनुपस्थित रहे हैं । उनके द्वारा अनुपस्थिति के संबंध में को ठोस एवं समाधान कारक कारण नहीं दिया गया है । आवेदकों की ओर से अनुपस्थिति के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – अपील 2997–एक/15 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की ओर से ऐसा कोई ठोस प्रमाण या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि अपर आयुक्त ने आवेदक के पुर्नस्थापन आवेदन को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । पक्षकारों सूचित हों अभिलेख वापिस हो । (एम0के0 सिंह) सदस्य, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर	